

मध्यप्रदेश विधान सभा

अक्टूबर-विसंवत्तर, 1999 संक्षेप

विनिवेद कार्य सूची

गुरुवार, विनोक 25 नवम्बर, 1999 (अम्बाशय 4, 1921)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पुष्टकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेगे तथा उनके उत्तर दिये जायेगे।

2. नियम 138 (1) के अधीन व्यान आकर्षण

(1) सर्वश्री लक्ष्मीकृत शर्मा, बुजमोहन अग्रवाल, रसाल रिह, सलस्य, गुना जिले के मक्तुदनगढ़ निवासी एक पंच द्वारा तहसील कार्यालय में आत्महत्या किये जाने की ओर यह मंत्री का व्यान आकर्षित करेगे।

(2) श्री लक्ष्मण सिंह गौड़, सदस्य, इन्वीर के अन्नपूर्णा रोड पर इमारान घाट की आरक्षित भूमि पर अवैध निर्माण होने की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का व्यान आकर्षित करेगे।

(3) श्री केलारनाथ शुक्ल, सदस्य, पर्यटन विकास निगम के भोपाल स्थित होटल प्रभारी द्वारा अनियमितता किये जाने की ओर पर्यटन मंत्री का व्यान आकर्षित करेगे।

3. वर्ष 1989-90 के आधिकार्यों के विवरण का उपस्थापन

श्री अजय मुशायान, वित्त मंत्री, वर्ष 1989-90 के आधिकार्यों के विवरण का उपस्थापन करेगे।

निर्धारित
समय

1 घन्टा
(शेष
20 मि.)

4. शासकीय विधि विवेयक कार्य

(1) श्री अजय मुशायान, योजना, आर्थिक एवं सार्विकी मंत्री, द्वारा किये गये प्रस्ताव पर कि "मध्यप्रदेश जिला योजना समिति (द्वितीय संशोधन) विवेयक, 1989 (क्रमांक 36 सन् 1999) पर विचार किया जाय"- अर्थात् का पुनर्ग्रहण।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विवेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेगे कि विवेयक पारित किया जाय।

2 घन्टे

(2) श्री नंद कुमार पटेल, यह मंत्री, प्रस्ताव करेगे कि मध्यप्रदेश ग्राम तथा नगर रक्षा समिति विवेयक, 1999 (क्रमांक 38 सन् 1999) पर विचार किया जाय।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विवेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेगे कि विवेयक पारित किया जाय।

1 घन्टा

(3) श्री बुधा कुमार गुप्ता, उच्च शिक्षा मंत्री, प्रस्ताव करेगे कि महर्षि महेश योगी ऐकिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विवेयक, 1999 (क्रमांक 39 सन् 1999) पर विचार किया जाय।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विवेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेगे कि विवेयक पारित किया जाय।

5. संकल्प

श्री रविन्द्र लौजे, सामान्य प्रशासन मंत्री, विनियोगित संकल्प प्रस्तुत करेगे : -

3 घन्टे

"इस सदन का यह मत है कि पिछड़े वर्गों को प्रदोक्षिण में आरक्षण हेतु संविधान में आवश्यक प्रावधान करने के लिए भारत सरकार से अनुरोध किया जाय"।

के.वी. तिवारी

सचिव,

मध्यप्रदेश विधान सभा।

शोपाल :

दिनांक : 24 नवम्बर, 1999